International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 222-224

लोकतान्त्रिक प्रणाली की तकनीक एवं तत्व

जितेन्द्र कुमार
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्ववद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

जन भागीदारी के अनेक माध्यम सृजित होते गए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ाव रखने लगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि समर्थन और विरोध की प्रक्रिया का प्रारम्भन हुआ। भारत में अधिकांश व्यापारिक संगठन, छात्र संगठन और अन्य विविध प्रकार के समूह राजनीतिक दलों के सहभागी बनते गए। राजनीतिक दल विविध व्यापारिक और अन्य संगठनों से चंदे की प्राप्ति करते हैं जिसके माध्यम से वे अपने दल को गतिशील बनाए रख सकें। इन सभी तत्वों के द्वारा चुनावी राजनीति के साथ–साथ मतदान व्यवहार को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया जाता है। अधोलिखित तकनीकों के द्वारा राजनीतिक दल अथवा उनके सहयोगी संगठन, लोकहित का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकमत मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं–

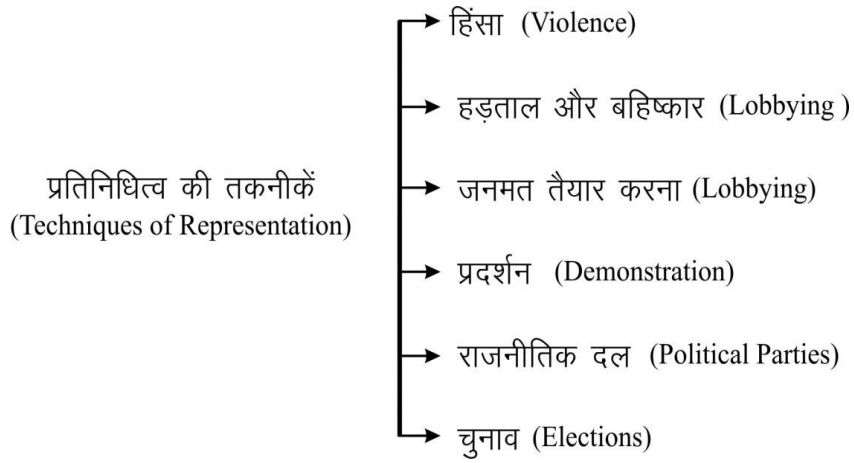

हिंसा

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को बहुसंख्यक जन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। जनता के हितों की रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व है। समाज में अनेक हित ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के हितों को प्रभावित करते हैं। यही हित सामाजिक एवं राजनीतिक संघर्ष को जन्म देते हैं। एक समूह दूसरे समूह के हितों की वैधता को चुनौती दे सकता है और इस हेतु वह अनेक तर्क दे सकता है।

इन परिस्थितियों में सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तर्कसम्मत एवं विधि के अनुरूप निर्णय लेगी। यदि सरकार इन हितों की टकराहट में उचित निर्णय लेने में असफल रहती है और किसी का हित प्रभावित होता है तो विविध समूह अपने हितों की वैधता को सुनिश्चित करने हेतु एवं सरकार के निर्णय के विरोध में हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। यह बहुत लम्बे काल तक एक अवधारणा रही है कि यदि हमारी बातों को महत्व नहीं दिया जाता तो हम हिंसा का प्रतिकार, हिंसा से करेंगे और अपने लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है।

भारत में चुनावों के दौरान हथियार बन्द अपराधियों के द्वारा संगठित हिंसा एक महत्वपूर्ण तत्व बनती जा रही है। प्रत्येक चुनाव में मासूम नागरिक काल–कवलित हो जाते हैं और बारंबार यह आशंका जताई जाती है कि लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वर्तमान लोकतांत्रिक प्रकृति सही दिशा में है? चुनावों के दौरान हिंसा का आश्रय लेकर मतदाताओं पर इस बात का दबाव डाला जाता है कि वे अमुक राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी मतदान और अमुद को न करें। इसके लिए मतदान केन्द्रों पर कब्जे के साथ–साथ मतदाताओं की हत्या तक करवा दी जाती है।

चुनावों के दौरान दो प्रकार की हिंसा का सहारा लिया जाता है–

a. प्रथम प्रकार की वह हिंसा जो चुनाव में बढ़त हासिल करने हेतु राजनीति से प्रेरित होती है और जिससे राजनीतिक दलों एवं उके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होता है।
b. द्वितीय प्रकार की चुनावी हिंसा का प्रयोग उन तत्वों के द्वारा किया जाता है जो विचारधारात्मक रूप से संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। इनके द्वारा अनैतिक और भ्रष्ट तत्वों का विरोध विविध माध्यमों से किया जाता है। राजनीतिक दल और सत्तासीन दल इनका मुख्य निशाना होता है। लोकतन्त्र के विरोध के लिए ये तत्व हिंसा के अनेक तरीके अपनाते हैं उदाहरण स्वरूप– मतदान स्थल पर कब्जा, प्रत्याशियों और मतदाताओं पर हमला इत्यादि। इस प्रकार का कार्य ये संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु करते हैं। नक्सलवादी और अन्य कट्टरपंथियों के द्वारा मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

ये समस्त कार्य ये राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट करने हेतु करते हैं। चुनावी हिंसा के पीछे जो भी कारण अथवा तत्व मौजूद हों, यह लोकतांत्रिक सम्प्रभुता के लिए खतरा है और वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था को इससे चुनौती मिली है।[1]

हड़ताल और बहिष्कार (Strikes and Boycott)

प्रतिनिधि लोकतन्त्र में अपने लक्ष्यों और माँगों को प्राप्त करने के लिए जनता और उसके प्रतिनिधि हड़ताल और बहिष्कार की तकनीकि का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः ये तकनीकि मजदूर वर्ग का सशक्त हथियार है। अन्य वर्ग भी इनका प्रयोग यदा–कदा करते रहते हैं। यहाँ तक संसद एवं विधानसभा में सदस्यों द्वारा सत्ता तक अपनी बात पहुँचाने एवं मनवाने हेतु बहिष्कार का प्रयोग शक्तिशाली तरीके से किया जाता है। लोकतंत्र के ये माध्यम अधिकांशतः हिंसामुक्त वातावरण में लोकप्रिय उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। पुनः हड़ताल और बहिष्कार कई बार हिंसक हो जाते हैं और साधन की पवित्रता खो देते हैं।

जनमत तैयार करना (Lobbying)

लॉबिंग शब्द मुख्यतः विधायन को प्रभावित करने से सम्बन्धित है। यह आधुनिक लोकतंत्र में विवादित क्रियाविधि है। लॉबिंग के माध्यम से सरकार को नीति निर्माण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके पीछे तर्क, जनमत और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव हो तो लोकहितों को किसी विशेष संस्था अथवा व्यक्ति के हितों की बलि चढ़ाया जा सकता है। भारत में लॉबिंग को नियन्त्रित करने हेते कोई नियम नहीं है। सरकार में निर्णायक भूमिका प्राप्त करने हेतु दबाव समूह कतिपय चुनाव क्षेत्रों का चयन करते हैं और ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करने में सहायता करते हैं जो चुने जाने के उपरान्त सदन में उनकी बातों को तर्कसम्मत, व्यावहारिक एवं विधिसम्मत तरीके से रख सकें। इससे दबाव समूह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम विधायन बनवा पाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी सशक्त भूमिका दर्ज कराते हैं। दबाव समूह अथवा हितसमूह, मतव्यवहार को प्रभावित कर लोकमत बनाते हैं जिसके माध्यम से वे राजनीतिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालते हैं।

ऐसे अधिकारी अथवा राजनेता, जिन्हें जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना होता है, जब वे लोक कल्याणकारी कार्यों को छोड़कर निजी स्वार्थ एवं कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने हेतु कार्य करते हैं तब यह संघर्ष की नींव तैयार करता है। यह आम धारणा बन गयी है कि दबाव समूह अथवा व्यापारिक घराने चुनाव के दौरान भले ही कम धन खर्च करते हों किन्तु चुनाव के उपरान्त जन प्रतिनिधियों को अपने स्वार्थपूर्ति हेतु खरीद लिया जाता है। जन प्रतिनिधि इनसे सहयोग और धन प्राप्त करने के बाद, जनतन्त्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर, इनको विभिन्न तरीकों से लाभ पहुँचाते हैं। इसके लिए जन प्रतिनिध दल बदलू भी हो जाते हैं। जो जनता की भावना के विरूद्ध है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी दल अथवा प्रतिनिधि को चुनावों के दौरान बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं जिससे वे चुनाव में जनमत प्राप्त कर सकें। यह कहा जा सकता है कि लॉबिंग में एक 'हित' दूसरे के भ्रष्टाचार के लिए सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है।

प्रदर्शन (Demonstration)

प्रदर्शन वह तकनीकि है जिसके माध्यम से एक जन समूह अथवा समुदाय किसी राजनीतिक दल अथवा अन्य मांगों का समर्थन करता है। इनमें बड़े–बड़े जुलूस निकाले जाते हैं; प्रारम्भ अथवा अन्त में जनसभा का आयोजन किया जाता है और उसके माध्यम से जनमत तैयार किया जाता है। इसमें वह सभी क्रियाविधि अपनायी जाती है जिसके माध्यम से अधिसंख्य जनमत को आकृष्ट किया जा सके। प्रदर्शन हिंसक अथवा अहिंसक दोनों प्रकार का हो सकता है। अधिकांशतया यह अहिंसकतौर पर प्रारम्भ होकर अन्त में हिंसक रूप ग्रहण कर लेता हैं। प्रदर्शन शब्द का प्रयोग 19वीं शती से प्रारम्भ हुआ। उस समय आयरलैण्ड में डेनियल ओ कॉनेल से प्रभावित होकर विशाल सभाओं का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों की सक्रियता उनकी स्वार्थपूर्ति का माध्यम तो होती ही है साथ वह नेताओं/प्रतिनिधियों को सशक्त संगठन के निर्माण का अवसर भी प्रदान करती हैं। प्रदर्शनकारियों के द्वारा किसी अन्य समुदाय अथवा सत्ता का विरोध अथवा प्रतिकार किया जाता है। जब दूसरा समुदाय अथवा पुलिस प्रशासन इनके विरूद्ध हिंसात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तब यह नैतिक रूप से अधिक मजबूती प्राप्त करते हैं। प्रदर्शन का प्रयोग सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इनके आयोजन में धन का खर्च सीमित मात्रा में होता है। ये आसानी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं यही कारण हैं जिनके आधार पर प्रदर्शन का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त करने हेतु 'रथयात्रा' और 'पद यात्रा' जैसे तरीकों का प्रयोग प्रदर्शन हेतु किया जाता है।

राजनीतिक दल (Political Parties)

लोकतन्त्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य तत्व हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व है। राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह समूह है जिसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मुनरों के अनुसार–राजनीतिक दल की सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। बिना राजनीतिक दल के एक लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव सम्भव नहीं होता।[2] गेटेल के अनुसार– ''राजनीतिक दल का उद्देश्य एक राजनीतिक संस्था के समान कार्य करते हुए एवं मताधिकार के प्रयोग, द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना तथा अपनी सामान्य नीति का सम्पादन करना है।''

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल श्वसन तन्त्र की भांति है। एक राजनीतिक दल के कुछ सिद्धान्त और नीतियाँ होती हैं जिनके माध्यम से वे जनता के हितों के साथ राष्ट्रीय हितों को अपने केन्द्र में रखते हैं। एडमण्ड वर्क के अनुसार – ''राजनीतिक दल के सदस्य कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय हितों को पूरा करने हेतु आपस में जुड़ते हैं।''[3] संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल नीति निर्माण और नीति क्रियान्यवयन दोनों को प्रभावित करते हैं। जनता से और अन्य माध्यमों से जानकारी एकत्रित कर सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और लोगो को राजनीतिक शिक्षा प्रदत्त करते हैं। राजनीतिक सक्रियता और शिक्षा से ही किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था सशक्त होती है।

चुनाव (Elections)

चुनाव एक औपचारिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता किसी व्यक्ति को 'लोक कार्य' हेतु चुनती है।[4] चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आधुनिक प्रतिनिधिक लोकतन्त्र का सम्पादन 17वीं शताब्दी से हो रहा है। चुनावों के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्थानीय स्तर पर सरकारों का चुनाव होता है। यहाँ तक कि यह प्रक्रिया निजी और व्यापारिक संगठनों में भी प्रयुक्त होती है।[5] लोकप्रिय चुनाव, वैधानिक और शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होते हैं। इन चुनावों के द्वारा, पुराने नेतृत्व को नए नेतृत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। भारतीय संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था करता है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के दौरान सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली का प्रावधान है। वह प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। उसी प्रकार 25 वर्ष की उम्र में लोकसभा और 30 वर्ष की उम्र में राज्यसभा में चुने

जाने का अधिकार रखता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर जनहितोन्मुखी कार्य सम्पादित कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. चुनावी हिंसा और विधि दृव्यवथा : जय तिलक गुहा
2. दि गवर्नमेंट आफ यूनाइटेड स्टेट : मुनरो
3. पोलिटिकल थियरी आफ स्टेट : ए डी आशीर्वादम
4. भारत का सविधान : सुभाष कश्यप
5. भारत में जातिवाद : रजनी पाम दत्त
6. भारत में शासन प्रणाली : गाँधी जी राय ए भारती भवन पटना
7. तुलनात्मक राजनीति और शासन : बीण्एलण्फाडिया